न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 41/आ0नि0को   दिनांक-14 जनवरी'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) मेयर, पटना नगर निगम, पटना।
(2) अध्यक्ष, जिला परिषद, पटना।
(3) उप विकास आयुक्त, पटना।
(4) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना।
(5) पटना जिले के सभी प्रमुख
(6) पटना जिले के सभी पार्षद
(7) निबंधित स्वयंसेवी संस्थान के अध्यक्ष/सचिव

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-**XXXX-01/2018**-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के आलोक में दिनांक-15.01.2019 से 19.01.2019 तक पटना जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित कर तत्वर्णित कार्यक्रमानुसार आवश्यक बैठक में भाग लेते हुए चलन्त न्यायालय के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक-17.01.2019 को पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक सभा कक्ष, पटना नगर निगम, पटना में आयोजित जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि एवं निबंधित स्वयंसेवी संस्थानों के अध्यक्ष/सचिव के साथ बैठक का कार्यक्रम निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि इस बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के बिहार राज्य अन्तर्गत अनुपालन स्थिति, अनुपालन में आने वाली कठिनाईयों एवं इसके समाधान के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा की जायेगी। जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित व्यावहारिक समस्याओं एवं अन्य पहलुओं को भी इस बैठक में शामिल कर सकेगें, जिससे कि अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर अनुपालन में मदद मिल सकेगी।

क्र0पृ0उ0............

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्त निर्धारित बैठक में भाग लेकर दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कृपा करें। साथ हीं अनुरोध है कि विषयक आयोजन की कड़ी में दिनांक-18 एवं 19.01.2019 को दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के सम्बन्ध में दिव्यांगजनों को अपने स्तर से जागरूक करने के कार्य में अपेक्षित सहयोग करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

14.01.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 41/आ-नि शो — दिनांक-14 जनवरी'19

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14.01.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।